भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 76

दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मालदीव में एनआरआई के समक्ष चुनौतियां

76. **श्री राजमोहन उन्नीथनः**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मालदीव में रहने वाले एनआरआई द्वारा अपना वेतन और अन्य आय प्रेषण को भारत भेजते समय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में उनके सामने अन्य कठिनाइयां भी आती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मालदीव में एनआरआई के लिए प्रेषण चैनलों को विनियमित करने और सुधारने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो लेनदेन शुल्क कम करने और सुचारू अंतरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए / उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश मंत्री

[डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर]

(क) से (घ) वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"**मालदीव में एनआरआई के समक्ष चुनौतियां**" के संबंध में दिनांक 29.11.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *76 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य।

(क) से (घ): मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण, जो मालदीव का केंद्रीय बैंक है, विदेश में धन प्रेषण की सुविधा के लिए मालदीव के बैंकों को प्रति माह सीमित मात्रा में अमेरिकी डॉलर आवंटित करता है। इससे मालदीव के बैंकों की उन विदेशी नागरिकों के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक धन प्रेषण की सुविधा देने की क्षमता प्रभावित हुई है, जिनमें वे भारतीय नागरिक भी शामिल हैं जो स्थानीय मालदीव मुद्रा (मालदीवियन रूफिया - एमवीआर) में अपना वेतन प्राप्त करते हैं। अमेरिकी डॉलर में अपना वेतन पाने वाले भारतीय नागरिकों को भारत में अपना पैसा भेजने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने पहले ही मालदीव सरकार और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ इस मामले को उठाया है, तथा मालदीव में रहने वाले भारतीय नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मालदीव के बैंकों को अमेरिकी डॉलर के आवंटन को बढ़ाने के लिए उनसे समर्थन देने का अनुरोध किया है। भारतीय नागरिकों के कल्याण को दिए जाने वाले महत्व को देखते हुए हमारा उच्चायोग मालदीव के प्राधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर लगातार संपर्क बनाए हुए है।

*****